न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्या:–25/2015 निर्णय दिनांक:–08.07.2024

1 श्री बाबु पिता हकीम धांची जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा डूंगरपुर राजस्थान हाल निवास कुवैत विधिक पत्नि श्रीमती समीम बानु पत्नि बाबु धांची निवासी पीठ तहसिल सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।

वादी

बनाम

1 श्री अहमद पिता रहमान धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

1/1 श्रीमती सिरिफा पत्नि अहमदधांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

1/2 श्रीमती नसिबा पुत्री अहमद धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

1/3 श्रीमती फर्जना पुत्री अहमद धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

1/4 श्रीमती ताहेरा पुत्री अहमद धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

1/5 श्री जिशान पुत्र अहमद धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

1/6 श्री नाजीया पुत्री अहमद धांची जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

1/7 श्री जमील पुत्र अहमद धांची जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

2 श्री जाकीर पिता हकीम धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

3 श्रीमती अमीना पत्नि आदम धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

4 श्रीमती मदीना पिता हकीम धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

5 श्रीमती हुसैना पिता हकीम धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।

6 श्रीमती मंजुला पत्नि चीमनलाल पाटीदार निवासी पीठ तहसिल सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.

7 श्रीमान भुमीधारी तहसिलदार साहब सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भु–राजस्व अधिनियम

प्रकरण सख्या:–25/2015

क्रमशः पेज दो पर

Scanned with OKEN Scanner

1 श्रीमती जैतुन बेवा आदम टोर जाति धांची निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा डूंगरपुर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1 श्री अहमद पिता रहमान धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
   1/1 श्रीमती सिरिफा पत्नि अहमदधांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
   1/2 श्रीमती नसिबा पुत्री अहमद धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
   1/3 श्रीमती फर्जना पुत्री अहमद धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
   1/4 श्रीमती ताहेरा पुत्री अहमद धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
   1/5 श्री जिशान पुत्र अहमद धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
   1/6 श्री नाजीया पुत्री अहमद धांची जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
   1/7 श्री जमील पुत्र अहमद धांची जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
2 श्री जाकीर पिता हकीम धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
3 श्रीमती अमीना पत्नि आदम धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
4 श्रीमती मदीना पिता हकीम धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
5 श्रीमती हुसैना पिता हकीम धांची उम्र वयस्क जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
6 श्री बाबु पिता हकीम धांची निवासी पीठ तहसिल सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.
7 श्रीमान भुमीधारी तहसिलदार साहब सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भु–राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपस्थित :– श्री प्रविण शुक्ला वादी की ओर से

प्रतिवादीगण की और से कोई हाजीर नही

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया था कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या

कमशः पेज तीन पर

Scanned with OKEN Scanner

1 से 6 ही परिवार के सदस्य है। तथा मुलपुरूष रहमान पिता लाला के वारिसान है तथा रहमान के भाई ईस्माईल लाऔलाद फोत हो चुका है । वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम पीठ सेटलमेंट 2019 मे खसरा नम्बर कमशः 1667, 2078, 2082, 2083, 2098 व 2099 कुल खसरा 6 कुल रकबा 6.08 बीघा होकर रहमान के नाम दर्ज थी जो पुर्व मे वादी व प्रतिवादीगण के पुर्वज लाला के नाम दर्ज थी वादग्रस्त आराजी सख्या 1667 जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी की नकल निकलवाने पर जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी ईस्माईल के लाऔलाद मृत्यु हो जाने के बाद ईस्माईल के भाई रहमान के सभी वारीसानो के नाम दर्ज नही कर अकेले रहमान के एक पुत्र अहमद के नाम दर्ज कर दी जिससे प्रतिवादी सख्या 1 वादग्रस्त आराजी को बेचने को आमादा है जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसे में रहमान की म्रत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरण सख्या 108 को निरस्त कर व विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण सख्या 6 के नाम खोले गये नामान्तरणसख्या 1515 व 1579 को वादी के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन धोषित किया जावे । वादग्रस्त ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667 को वादी व प्रतिवादीगण के नाम पारिवारीक हिस्से के अनुसार सयुक्त रुप से दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा किसी अन्य को हंस्तान्तरित नही करे ।इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। बावजुद सुचना प्रतिवादीगण सख्या 1 से 5 के हाजीर नही होने से प्रतिवादीगण के विरुद एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी तथा प्रतिवादीगण सख्या 6 की और वकील ने वकालतनामा पेश किया ।

दिनांक 11.06.2024 को प्रतिवादी सख्या 1 ने मय वकील उपस्थित होकर आर्डर 9 रुल 7 का प्रार्थना पत्र पेश कर एकतरफा कार्यवाही करने का निवेदन किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ती पेश नही करने पर प्रतिवादी सख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सख्या 1 व 6 के जवाब हेतु नियत की गई

प्रतिवादी सख्या एक ने जवाब व प्रतिवाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी सख्या एक का ही कब्जा व हक है जो पुर्व मे ईस्माईल के खाते मे थी जिसे ईस्माईल ने प्रतिवादी सख्या एक के नाम वसीयत की थी तथा वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी ईस्माईल के खाते मे दर्ज हुई तथा वादग्रस्त आराजी विरासती होने की जानकारी प्रतिवादी सख्या एक को नही है तथा प्रतिवादी सख्या एक ने नियमानुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सख्या 6 को व 15.05.2024 को जरीये विकय पत्र जैतुन को बेची है ऐसे मे वादी वाद खरीज किया जावे साथ ही

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

कमशः पेज चार पर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवाद मे दाद चाही हैकि वादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे वे ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667, 2078, 2082, 2083, 2098 व 2099 का प्रतिवादी एक खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा जबरन अतिकमण नही करे ।तथा प्रतिवादी सख्या 6 जवाब व प्रतिवाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी सख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से उसने नियमानुसार वादग्रस्त आराजी वादी को बेची है तथा प्रतिवादी सख्या 6 का कयशुदा भूमी पर कब्जा काश्त है ऐसे मे वादी को पाबन्द किया जावे कि वह प्रतिवादी सख्या छः को कयशुदा भुमी मे काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा बेदखल नही करे । पत्रावली वास्ते जवाबउल जवाब हेतु रखी गई ।

वकील वादी ने जवाबउल जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667, 2078, 2082, 2083, 2098 व 2099 जिसके पुराने नम्बर 1466, 1899 व 1900 है जो संवत 2008 मे वादी व प्रतिवादी सख्या 2 से 5 के दादा व प्रतिवादी सख्या एक के पिता रहमान के नाम दर्ज थी जो सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से 2019 मे ईस्माइल के नाम दर्ज कर दी जबकि नियमानुसार रहमान की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्र के नाम दर्ज करनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने गलती से रहमान के भाई ईस्माईल के नाम दर्ज कर दी उक्त इन्द्राज वादी के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन है । वादग्रस्त आराजी वादी की विरासती आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण पारिवारीक बंटवारे के अनुसार काबीज होकर काश्त कर रहे है ऐसे मे वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्रो के वारीसानो के नाम दर्ज करने की डिक्री जारी की जावे । पत्रावली वास्ते तनकीयात हेतु रखी गई।

वादीगण के वाद , प्रतिवादीगण के जवाब दावा, प्रतिवाद व जवाबउल जवाब के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादी प्रतिवादी सख्या 1,6 व 7 को ग्राम पीठ की आराजी खसरा नम्बर 1667 को किसी अन्य को रहन, विकय व बक्षीस न करने बाबत स्थायी निषेधज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है ।

–जिम्मे वादी

2 आया वादी ईस्माईल के वारिसान का नाम विवादीत मे इन्द्राज कराने का अधिकारी है।

– जिम्मे वादी

3 आया वादी विकय के आधार पर दर्ज नामान्तरण सख्या 1515 व 1579 को निरस्त कराने का अधिकारी है

– जिम्मे वादी

4 आया प्रतिवादी सख्या 1 काउन्टर क्लेम के अनुसार विवादीत आराजी खसरा नम्बर 1667, 2078, 2082, 2083, 2098 व 2099 वाके ग्राम पीठ का खातेदार काश्तकार व काबीज है।

– जिम्मे प्रतिवादी

5 आया प्रतिवादी सख्या 1 वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है

– जिम्मे प्रतिवादी

कमशः पेज पांच पर

Scanned with OKEN Scanner

6 आया वादी द्वारा दावा अवधि से परे प्रस्तुत किया अतः दावा निरस्त योग्य है — जिम्मे प्रतिवादी

7 अनुतोष

वादी ने अपने समर्थन में वादी बाबु का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया । प्रकरण सख्या 49/10 के सक्षेंप मे तथ्य इस प्रकार है

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीया व प्रतिवादीगण एक ही गांव के मुल निवासी होकर मुल पुरुष रहमान के वारीसान है ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667, 2078, 2082, 2083, 2098 व 2099 जिसके पुराने नम्बर 1466, 1899 व 1900 है जो संवत 2008 मे वादी व प्रतिवादी सख्या 2 से 5 के दादा व प्रतिवादी सख्या एक के पिता रहमान के नाम दर्ज थी जो सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से 2019 मे ईस्माइल के नाम दर्ज कर दी जबकि नियमानुसार रहमान की म्रत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्र के नाम दर्ज करनी थी लेकिन राजस्व कर्मचीरयो ने गलती से रहमान के भाई ईस्माईल के नाम दर्ज कर दी उक्त इन्द्राज वादी के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन है । वादग्रस्त आराजी वादी की विरासती आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण पारिवारीक बंटवारे के अनुसार काबीज होकर काश्त कर रहे है ऐसे मे वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्रो के वारीसाना वादी व प्रतिवादी सख्या 2 से 6 के नाम प्रतिवादी सख्या एक साथ दर्ज करने व प्रतिवादी स एक को जरीये स्थायी निषेधज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह मात्र नाम के आधार पर वादग्रस्त जमीन को किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करे व वादीया को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे इस आशय की डिकी जारी की जावे ।

वादीया द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। बावजुद सुचना प्रतिवादीगण सख्या 2 से 5 के हाजीर नही होने से प्रतिवादीगण के विरुद एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी सख्या एक का ही कब्जा व हक है जो पुर्व मे ईस्माईल के खाते मे थी जिसे ईस्माईल ने प्रतिवादी सख्या एक के नाम वसीयत की थी तथा वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी ईस्माईल के खाते मे दर्ज हुई तथा वादग्रस्त आराजी विरासती है जो पुर्व मे ईस्माईल व रहमान दोनो भाईयो के नाम दर्ज थी जो नियमानुसार सेटलमेंट कर्मियो ने ईस्माईल के नाम दर्ज की थी तथा प्रतिवादी सख्या एक ने नियमानुसार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सख्या 6 को व 15.05.2019 को जरीये विकय पत्र जैतुन को बेची है व वादीया तलाकशुदा महिला है तथा तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पति की सम्पति पर कोई नही रहता है ऐसे मे वादी वाद खरीज किया जावे तथा विशेष कथन मे प्रकरण 42/09 व 49/10 के प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी एक होने से वाद सख्या 49/10 को वाद सख्या 42/09 मे समेकीत करने का निवेदन किया । प्रतिवादी सख्या 6 ने वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी विरासती होने के कारण रहमान के तीनो पुत्रो के वारीसानो के नाम सयुक्त रुप से

कमशः पेज छः पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज करने का निवेदन किया । पत्रावली वास्ते तनकीयात हेतु रखी गई। वादीगण के वाद , प्रतिवादीगण के जवाब दावा के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादीया ग्राम पीठ की आराजी खसरा नम्बर 1667 रकबा 3.01 बिघा के 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है।

–जिम्मे वादीया

2 आया वादीया , प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है । – जिम्मे वादीया

3 आया नामान्तरण सख्या 108 शुन्य एंव प्रभावहीन होने के कारण निरस्त योग्य है। – जिम्मे वादीया

4 आया वादीया श्री आदम तलाकशुदा पत्नि है व्यक्तिगत कानुन के अनुसार तलाकशुदा महिला को पति की सम्पति मे कोई अधिकार नही होते है वो अपने पीअर मे रहती है इस बिनाय पर दावा खारीज योग्य है।

– जिम्मे प्रतिवादी

5 आया मुकदमा नम्बर 42/09 व इस मुकदमा को शामील कर एक साथ सुनवाई की जावे ।

– जिम्मे प्रतिवादी

7 अनुतोष

इस दोरान प्रतिवादी सख्या एक की म्रत्यु होने से उसके कायम मुकान को पक्षकार बनाया जाने का वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया तत्पश्चात वकील वादी ने संशोधित अनवान पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया ।

दिनांक 10.05.2012 को वकील प्रतिवादी वकील ने प्रकरण 42/09 49/10 के प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी एक होने से वाद सख्या 49/10 को वाद सख्या 42/09 मे समेकीत करने का निवेदन किया जिस पर दोनो प्रकरण मे वाद ग्रस्त आराजी एक ही होने के कारण वाद सख्या 49/10 को वाद सख्या 42/09 के साथ जोडा गया ।

दिनांक 10.07.2014 को वाद अदम हाजरी पैरवी मे खारीज किया गया था जिसे वादी द्वारा पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया वाद दिनांक 18.06.2015 को नम्बर पर लिया जाकर नया नम्बर 25/2015 दर्ज किया गया।

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री बाबु पिता हकीम धांची निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रदर्श– 1 खतोनी जमाबंदी संवत 2030–2035 की नकल
प्रदर्श– 2 खतोनी जमाबंदी संवत 2026–2029 की नकल
प्रदर्श– 3 नामान्तरण
प्रदर्श– 4 सेटलमेंट 2019 की बन्दोबस्त जमाबन्दी
प्रदर्श– 5 चालु जमाबन्दी
प्रदर्श– 6 संवत 2008 की जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज सात पर

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श – 7 फर्द तुलनात्मक

उक्त बयानों में बताया की वादग्रस्त आराजी सख्या 1667 जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी की नकल निकलवाने पर जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी ईस्माईल के लाऔलाद मृत्यु हो जाने के बाद ईस्माईल के भाई रहमान के सभी वारीसानो के नाम दर्ज नही कर अकेले रहमान के एक पुत्र अहमद के नाम दर्ज कर दी जिससे प्रतिवादी सख्या 1 वादग्रस्त आराजी को बेचने को आमादा है जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसे में रहमान की मृत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरण सख्या 108 को निरस्त कर व विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण सख्या 6 के नाम खोले गये नामान्तरणसख्या 1515 व 1579 को वादी के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन घोषित किया जावे ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667, 2078, 2082, 2083, 2098 व 2099 जिसके पुराने नम्बर 1466, 1899 व 1900 है जो संवत 2008 मे वादी व प्रतिवादी सख्या 2 से 5 के दादा व प्रतिवादी सख्या एक के पिता रहमान के नाम दर्ज थी जो सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से 2019 मे ईस्माइल के नाम दर्ज कर दी जबकि नियमानुसार रहमान की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्र के नाम दर्ज करनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने गलती से रहमान के भाई ईस्माईल के नाम दर्ज कर दी उक्त इन्द्राज वादी के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन है । वादग्रस्त आराजी वादी की विरासती आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण पारिवारीक बंटवारे के अनुसार काबीज होकर काश्त कर रहे है ऐसे मे वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्रो के वारीसानो के नाम दर्ज करने की डिक्री जारी की जावे । साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई।

प्रतिवादी ने अपने समर्थन में फरजाना का शपथ पत्र पेश किया लेकिन जिरह के समय मुल दस्तावेज नही लाने के कारण बयान रिर्जव रखे गये लेकिन उसके बाद करीब तीन साल तक मौके मिलने के बावजुद प्रतिवादी साक्ष्य के लिये उपस्थित नही हुए जिससे साक्ष्य प्रतिवादी 08.09.2022 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली एकपक्षीय बहस मे नियत की गई ।

विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई वकील वादी ने उक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दोहराते हुए तर्क दिया की वादग्रस्त आराजी सख्या 1667 जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 व जैतुन की संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी है उक्त आराजी की नकल निकलवाने पर जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी ईस्माईल के लाऔलाद मृत्यु हो जाने के बाद ईस्माईल के भाई रहमान के सभी वारीसानो के नाम दर्ज नहीं कर अकेले रहमान के एक पुत्र अहमद के नाम दर्ज कर दी जिससे प्रतिवादी सख्या 1 वादग्रस्त आराजी को बेचने को आमादा है जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ऐसे में रहमान की मृत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरण सख्या 108 को निरस्त कर व विक्रय पत्र 1 के आधार पर प्रतिवादीगण सख्या 6 के नाम खोले गये नामान्तरणसख्या 1515 व 1579 को वादी के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा वादी ने बताया कि प्रतिवादी सख्या 6 को प्रतिवादी सख्या 1 ने एक ही बार 13 बिस्वा जमीन विक्रय की है ऐसे मे नामान्तरण सख्या 1579 गलत खोला गया है ये बात प्रतिवादी

कमशः पेज आठ पर

संख्या एक व छः ने अपने जवाब मे भी उल्लेख की है ऐसे मे नामान्तरण संख्या 1579 खारीज किया जावे तथा स्थगन आदेश होने के बावजुद दिनांक 18.05.2018 को ग्राम पीठ मे खोला गया नामान्तरण संख्या 2779 को निरस्त किया जावे क्योकि वह विधि विरुद न्यायालय के आदेश की अवमानना कर खोला गया है। ग्राम पीठ की आराजी संख्या 1667, 2078, 2082, 2083, 2098 व 2099 जिसके पुराने नम्बर 1466, 1899 व 1900 है जो संवत 2008 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के दादा व प्रतिवादी संख्या एक के पिता रहमान के नाम दर्ज थी जो सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से 2019 मे ईस्माइल के नाम दर्ज कर दी जबकि नियमानुसार रहमान की म्रत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्र के नाम दर्ज करनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने गलती से रहमान के भाई ईस्माईल के नाम दर्ज कर दी उक्त इन्द्राज वादी के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन है । वादग्रस्त आराजी वादी की विरासती आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण पारिवारीक बंटवारे के अनुसार काबीज होकर काश्त कर रहे है ऐसे मे वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्रो के वारीसानो के नाम दर्ज करने की डिकी जारी की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे । ऐसे में वाद डिकी फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की समेकीत वादो की बहस सुनी व बहस पर मनन किया । पत्रावली एकपक्षीय होने व प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से तनकी वार निर्णय नही कर सीधा निर्णय करना उचित समझता हुं।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 4, 6 व 7 से ये साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी 1667 संवत 2008 मे खसरा नम्बर 1466 दर्ज होकर वादी बाबु के दादा व जैतुन के ससुर रहमान के नाम दर्ज रेकोर्ड थी जिसे सेटलमेंट कर्मियो ने बिना किसी आधार के संवत 2019 मे रहमान के भाई ईस्माईल के नाम दर्ज कर दी जो कानुनी रुप से गलत है तथा प्रतिवादी सख्या 6 ने अपने जवाब मे अंकन किया है कि प्रतिवादी सख्या 6 ने प्रतिवादी सख्या 1 से 13 बिस्वा जमीन खरीदी है जिसका नामान्तरण सख्या 1515 खोला गया लेकिन नामान्तरण 1579 के जरीये प्रतिवादी सख्या 6 के नाम पुनः 13 बिस्वा जमीन दर्ज की है वो गलत है जिसका उल्लेख प्रतिवादी सख्या एक ने अपने जवाब मे भी किया गया ऐसे मे नामान्तरण सख्या 1579 गलत खोला गया है जो निरस्त योग्य है तथा स्थगन आदेश होने के बावजुद दिनांक 18.05.2018 को ग्राम पीठ मे खोला गया नामान्तरण सख्या 2779 को निरस्त किया जाना उचित समझता हुं क्योकि नामान्तरण सख्या 2779 विधि विरुद न्यायालय के आदेश की अवमानना कर खोला गया है । वादग्रस्त आराजी संवत 2008 मे वादी व प्रतिवादी सख्या 2 से 5 के दादा व प्रतिवादी सख्या एक के पिता रहमान के

कमशः पेज नव पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

नाम दर्ज थी जो सेटलमेंट कर्मियो ने गलती से 2019 मे ईस्माइल के नाम दर्ज कर दी जबकि नियमानुसार रहमान की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी रहमान के तिनो पुत्र के नाम दर्ज करनी थी लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने गलती से रहमान के भाई ईस्माईल के नाम दर्ज कर दी उक्त इन्द्राज वादी के विरुद शुन्य एंव प्रभावहीन है । वादग्रस्त आराजी वादी की विरासती आराजी है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण पारिवारीक बंटवारे के अनुसार काबीज होकर काश्त कर रहे है ऐसे मे वादग्रस्त आराजी रहमान के तीनो पुत्रो के वारीसानो के नाम दर्ज किया जाना तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित समझता हुं कि वे वादग्रस्त आराजी मे वादी बाबु व जैतुन को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी बेदखल नहीं करै।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667 रकबा 3.01 बिधा मे से तेरह बिस्वा भूमी प्रतिवादी सख्या 6 श्रीमती मंजुला के नाम दर्ज की जावे तथा आराजी सख्या 1667 की शेष भूमी 2.08 बिधा वादी बाबु व जैतुन तथा प्रतिवादी सख्या 1 से 5 के नाम पारिवारीक हिस्से के अनुसार सयुक्त रुप से दर्ज कर ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667 रकबा 3.01 मे तेरह बिस्वा का प्रतिवादी सख्या 6 मंजुला को शेष 2.08 बिधा के 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सख्या एक को , 1/3 हिस्से का वादी जैतुन व प्रतिवादी सख्या 3 अमिना व 1/3 हिस्से का वादी बाबु, प्रतिवादी सख्या दो, चार व पांच को खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा ग्राम पीठ के नामान्तरण सख्या 1579 व 2779 को विधि व नियमविरुद होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी सख्या एक को पाबन्द किया जाता हैकि वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल न करे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल सीमलवाडा

प्रकरण सख्याः– 25/2015

श्री बाबु बनाम श्री अहमद वगैरह

श्रीमती जैतुन बनाम अहमद वगैरह

वाद बाबतःवाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 रा.टी. एक्ट

व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरीः–

श्री प्रविण शुक्ला मिनजानिब मुदई उपस्थित व मनजानिब मुदायलाह अनुपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667 रकबा 3.01 बिधा मे से तेरह बिस्वा भूमी प्रतिवादी सख्या 6 श्रीमती मंजुला के नाम दर्ज की जावे तथा आराजी सख्या 1667 की शेष भूमी 2.08 बिधा वादी बाबु व जैतुन तथा प्रतिवादी सख्या 1 से 5 के नाम पारिवारीक हिस्से के अनुसार सयुक्त रुप से दर्ज कर ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667 रकबा 3.01 मे तेरह बिस्वा का प्रतिवादी सख्या 6 मंजुला को शेष 2.08 बिधा के 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सख्या एक को , 1/3 हिस्से का वादी जैतुन व प्रतिवादी सख्या 3 अमिना व 1/3 हिस्से का वादी बाबु, प्रतिवादी सख्या दो, चार व पांच को खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा ग्राम पीठ के नामान्तरण सख्या 1579 व 2779 को विधि व नियमविरुद होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी सख्या एक को पाबन्द किया जाता हैकि वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल न करे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 08.07.2024 को जारी की गई

दस्तखत. . . उपखण्ड मजिस्ट्रेट . . . . .

ओहदा सीमलवाडा. . . . . .

मुदई	रूपया/पैसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेंहनताना वकील फीस कमी"नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेंहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमी"नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल सीमलवाडा

प्रकरण सख्या:– 25/2015

श्री बाबु बनाम श्री अहमद वगैरह

श्रीमती जैतुन बनाम अहमद वगैरह

वाद बाबत:वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 व 209 रा.टी. एक्ट

व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरी:–

श्री प्रविण शुक्ला मिनजानिब मुदई उपस्थित व मनजानिब मुदायलाह अनुपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667 रकबा 3.01 बिधा मे से तेरह बिस्वा भूमी प्रतिवादी सख्या 6 श्रीमती मंजुला के नाम दर्ज की जावे तथा आराजी सख्या 1667 की शेष भूमी 2.08 बिधा वादी बाबु व जैतुन तथा प्रतिवादी सख्या 1 से 5 के नाम पारिवारीक हिस्से के अनुसार सयुक्त रुप से दर्ज कर ग्राम पीठ की आराजी सख्या 1667 रकबा 3.01 मे तेरह बिस्वा का प्रतिवादी सख्या 6 मंजुला को शेष 2.08 बिधा के 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सख्या एक को , 1/3 हिस्से का वादी जैतुन व प्रतिवादी सख्या 3 अमिना व 1/3 हिस्से का वादी बाबु, प्रतिवादी सख्या दो, चार व पांच को खातेदार काश्तकार खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा ग्राम पीठ के नामान्तरण सख्या 1579 व 2779 को विधि व नियमविरुद होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रतिवादी सख्या एक को पाबन्द किया जाता हैकि वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल न करे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 08.07.2024 को जारी की गई

दस्तखत. . . . .

ओहदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा. . . . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प व जेह सबुत		मेंहनतनामा वकील	
मेंहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमी"नर		फिस कमी"नर	
खर्चा गवाहान		बाबत इजराय	
बबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner